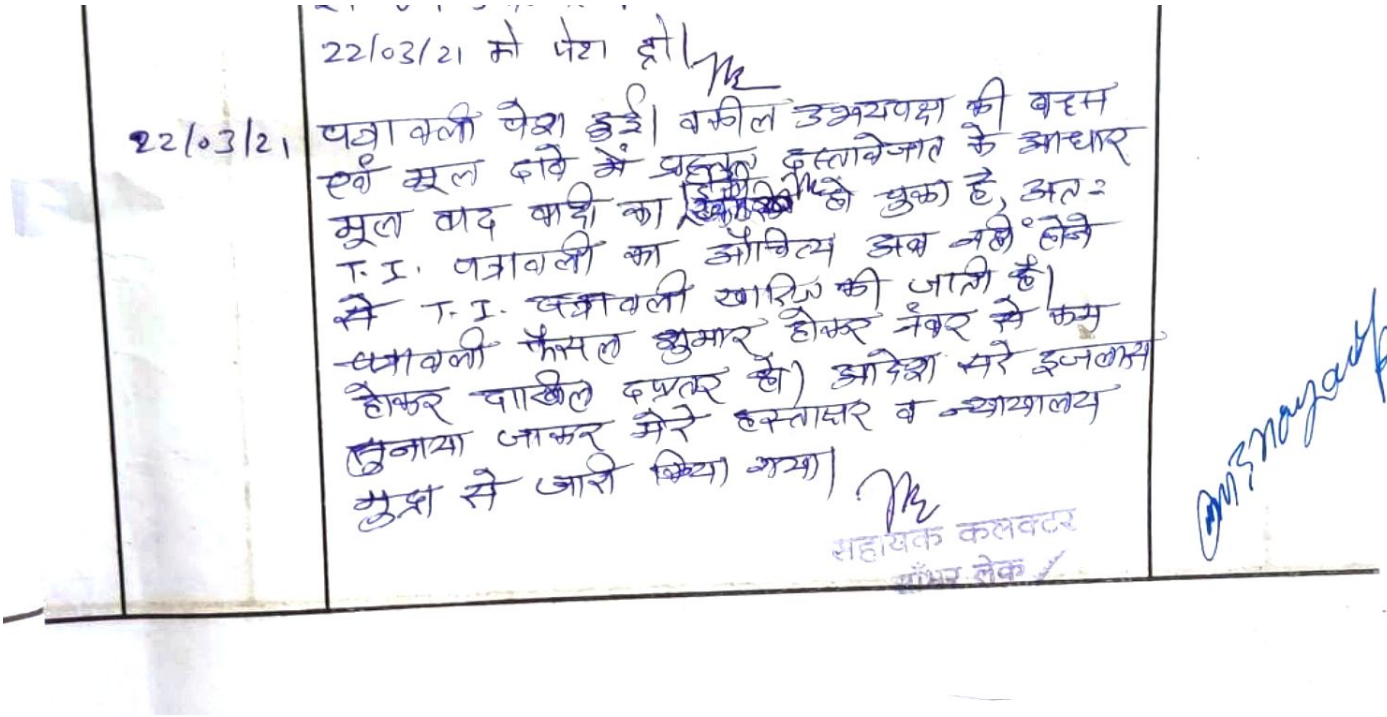

	22/03/21 को पेश हो।	
22/03/21	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष की बहस एवं मूल दावे में प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार मूल वाद वादी का [illegible] हो चुका है, अतः T.I. पत्रावली का औचित्य अब नहीं होने से T.I. पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।	

सहायक कलक्टर
साँभर लेक

Signature Not Verified

Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2021.07.27 15:55:02 IST
Reason: SelfAttested